

संख्या ३५०६ / २२(६)१२



सोसाइटी के नवीकरण का प्रमाण-पत्र

नवीकरण संख्या १०६९ २०१२

फाइल संख्या I. A/ २९६८४

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि श्री शशा कुमार उभारा

कल्पाल श्रीकांत चान्दिति कल्पना कुमार (नई कालमी)

यहाँ पर्याप्त — कागज को दिये गये रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र संख्या १५४६/२००१-०२

दिनांक ०३-१०-२००१ को दिनांक ०३-१०-२०११ से पांच वर्ष

की अवधि के लिए नवीकृत किया गया है।

३०१५०/ यहाँ की नवीकरण फीस सम्बद्ध रूप से प्राप्त हो गयी है।

दिनांक १५/१०/२०१२

सोसाइटी के रजिस्ट्रेशन
उत्तर प्रदेश ।

पी०एस०य००००-००००० ६ फर्म निवन्धक-1.02.2009-(419)-२,०००-(कम्प्यूटर/आफसेट)।

श्री शशा कुमार उभारा
कल्पना कुमार (आगवा)

नियमावली

1. संस्था का नाम
2. संस्था का पता
3. संस्था का कार्यक्षेत्र
4. संस्था के उद्देश्य
5. संस्था की सदस्यता तथा सदस्यों के वर्ग -

- श्री राधाकृष्ण सभालय द्वारा दिल्ली २, रोड़ ३
- दिल्ली उच्च निवासादी, दहराहोरा अग्रहरा
- सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश होगा
- संलग्न स्मृतिपत्र के अनुसार होंगे ।

1. संरक्षक सदस्य - जो सज्जन इस संस्था को एक मुश्त 501 रुपया सदस्यता शुल्क के रूप में देगा अथवा इतने या इससे अधिक मूल्य की कोई अचल या चल सम्पत्ति देगा वह सज्जन इस संस्था का संरक्षक सदस्य बनाया जायेगा ।

2. आजीवन सदस्य - जो सज्जन इस संस्था को एक मुश्त 1001 रुपया सदस्यता शुल्क के रूप में देगा अथवा इतने या इससे अधिक मूल्य की कोई अचल चल सम्पत्ति देगा वह सज्जन इस संस्था का आजीवन सदस्य बनाया जायेगा ।

3. साधारण सदस्य - जो सज्जन द्वारा संस्था को प्रति वर्ष 250 रुपया देगा वह सज्जन इस संस्था का साधारण सदस्य बनाया जायेगा ।

4. विशिष्ट सदस्य - ऐसे सज्जन जिनकी आयश्यकता इस संस्था को महसूस हो रही होगी एवं संस्था का तन मन धन से सहयोग करने के लिए तत्पर रहते हो ए जो खिडान होंगे सरकार द्वारा सम्मानित एवं उपाधि प्राप्त सदस्यों जनप्रतिनिधि सदस्यों को यत्नान कार्यकारिणी दो वर्ष के लिए बांधा का विशिष्ट सदस्य मनोनीत करेगी ऐसे सदस्य सदस्यता शुल्क से मुक्त होंगे उनकी स्वेच्छा जै दिया गया दान एवं चंदा संस्था को स्वीकार होगा ऐसे सदस्यों को चुनाव में मत देने अथवा भाग लेने का अधिकार न होगा । परन्तु प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे सदस्यों की संख्या 5 से अधिक न होगी ।

5. सदस्यता की समाप्ति -

1. मृत्यु होने पागल या दिवालिया होने पर ।
2. सदस्यता शुल्क समय से अदा न करने पर ।
3. संस्था की लगातार तीन बैठकों में बिना किसी काशण बनाये अनुपस्थित होने पर ।
4. किसी सदस्य के यिल्ड 2/3 बहुमत से अधिक मतों से अधिश्यास का प्रभाव पास होने पर ।
5. ह्यागपत्र दिये जाने पर य उसे आम सभा के द्वारा पास होने पर ।
6. न्यायालय द्वारा दण्डित होने पर ।
7. संस्था के अहित में कार्य करने पर ।

6. संस्था के अंग -

1. साधारण सभा
2. प्रबन्धकारिणी समिति ।

7. साधारण सभा - गठन - साधारण सभा का गठन संस्था के सभी सदस्यों का भिलाकर किया जायेगा बैठक - साधारण सभा की सामान्य बैठक वर्ष में एक तथा विशेष बैठक आयश्यकतानुभाव उल्लिखित होगी ।

सूचना अवधि - साधारण सभा की सामान्य बैठक की सूचना सदस्यों को सात दिन पूर्व तथा विशेष बैठक की सूचना 3 दिन पूर्व दी जायेगी ।

गणपूर्ति - गणपूर्ति के लिए कुल सदस्यों की संख्या के 2/3 बहुमत सदस्यों की उपरिधिति का कोरम होगा ।

विशेष वार्षिक अधियेशन संस्था द्वा विशेष वार्षिक अधियेशन प्रति वर्ष सत्र समाप्ति पर होगा जिसकी तिथि प्रबन्धकारिणी समिति के बहुमत से साधारण सभा में से शेष कार्यकाल के लिए

कर ली जायेगी ।

साधारण सभा के अधिकार य कर्तव्य -

1. प्रबन्धकारिणी समिति का समय समय पर निर्वाचन भव्यत्व करवाना ।
2. संस्था के नियमों विनियमों में संशोधन परिवर्तन परिवर्तन 2/3 बहुमत से करना ।
3. संस्था का वार्षिक बजट य वार्षिक कार्यक्रमों की लपरेखा तैयार करवाना ।

8. प्रबन्धकारिणी समिति -

गठन - प्रबन्धकारिणी समिति का गठन संस्था की आम सभा के बहुमत से कम से कम 12 सदस्यों को मिलाकर किया जायेगा जिसमें एक अध्यक्ष एक उपाध्यक्ष एक प्रबन्धक / सचिव एक उपप्रबन्धक / उपसचिव एक कोषाध्यक्ष एक आडीटर तथा शेष कार्यकारिणी सदस्य होंगे आयश्यकतानुसार सदस्यों की संख्या घटाई बढ़ाई जा सकती है ।

बैठक - प्रबन्धकारिणी समिति द्वारा सामान्य बैठक वर्ष में एक तथा विशेष बैठक आयश्यकतानुसार बुलाई जायेगी ।

सूचना अनुधि - प्रबन्धकारिणी समिति की सामान्य बैठक की सूचना सदस्यों को ? दिन पूर्व तथा विशेष बैठक की सूचना 24 घण्टे पूर्व दी जायेगी ।

गणपूर्ति - गणपूर्ति के लिए कुल सदस्यों की संख्या के 2/3 बहुमत से अधिक सदस्यों की उपस्थिति का कोर्स होगा ।

रिक्त स्थान की पूर्ति - प्रबन्धकारिणी समिति में यदि कोई आकस्मिक स्थान रिक्त हो जाता है तो हस्त रिक्त स्थान की पूर्ति प्रबन्धकारिणी समिति के बहुमत से साधारण सभा में शेष कार्यकाल के लिए कर ली जायेगी ।

प्रबन्धकारिणी समिति के अधिकार य कर्तव्य -

1. संस्था के उन्नति य विकास हेतु हर संघर्ष प्रयास करना ।

प्राप्ति संस्था के नियमों विनियमों में संशोधन परिवर्तन, परिवर्तन साधारण सभा के 2/3 बहुमत से करना ।

2. संस्था का वार्षिक बजट य वार्षिक कार्यक्रमों की लपरेखा तैयार करवाना ।

3. संस्था के विकास हेतु केन्द्रीय एवं जाज्य संस्कार के सम्बन्धित विळागों / मंत्रा लयों एवं अन्य संस्थानों, प्रतिष्ठानों, निकायों, नागरिकों आदि से वान, अनुदान, चंदा, ऋण एवं वित्तीय सहायता प्राप्त करना प्राप्त आय को संस्था के हितार्थ एवं चैरिटेबिल कार्यों की पूर्ति तु व्यव करना ।

4. संस्था के विकास हेतु उपदकाइयों एवं उपसमितियों की स्थापना / गठन करना य उनका संचालन करना ।

5. कार्यकाल - प्रबन्धकारिणी समिति का कार्यकाल 5 वर्ष तक का होगा ।

10. पदाधिकारिणों के अधिकार य कर्तव्य -

1. अध्यक्ष -

संस्था की प्रबन्धकारिणी समिति य साधारण सभा की समस्त बैठकों की अध्यक्षता करना ।

2. उपाध्यक्ष - अध्यक्ष द्वारा अनुपस्थिति में उनके कार्यों को करना उपस्थिति में कार्यों में जहियोग देना ।

3. प्रबन्धक / सचिव - 1. संस्था की देखभाल करना ।

2. संस्था की ओर से समस्त संस्कार का पत्र व्यवहार करना ।

3. संस्था की समस्त अचल चल सम्पत्ति की सुरक्षा करना वान, अनुदान, एवं चंदा आदि प्राप्त करना ।

4. संस्था के आय व्यय विवरण को रखना य दैकों छाप्टों आदि को स्पीकर करना य विल पास देना ।

5. संस्था के सामाजिक कार्यों के अंतर्गत समस्त कर्मचारियों की नियुक्ति निष्कासन पदोन्नति या पदच्युत करना येतन भीगी कर्मचारियों का येतन तथ करना मुगातान करना उनकी सेवा के नियम बनाना ।

6. संस्था के समस्त अग्रिलेखों को अपने नास रखना य अदालती कार्यवाही की वैद्यी करना और यह कार्य करना जो संस्था के पिकास में सहाय हों ।

7. संस्था के पिकास हेतु अन्य ये सभी आवश्यक कार्य करना जो संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति करना ।

4. उपप्रबन्धक / उपसचिव - प्रबन्धक / सचिव ही अनुपस्थिति में उनके द्वारा लिखित रूप में सौंधे गये कार्यों को करना उपस्थिति में कार्यों में सहियोग देना ।

5. कोषाध्यक्ष -

1. संस्था के आय व्यय पिण्डण को रखना ।

2. संस्था के प्रबन्धक / सचिव द्वारा सौंधे गये सभी कार्यों को करना ।

3. आडीटर - संस्था के आय व्यय का आडिट प्रति वर्ष करना ।

11. संस्था के नियमों विनियमों में संशोधन परिवर्तन प्रक्रिया - संस्था के नियमों विनियमों में कठोरता परिवर्तन परिवर्तन सावारण सभा के 2/3 बहुमत से करना ।

12. संस्था का कोष एवं लेखा व्यवस्था - संस्था का कोष किसी राष्ट्रीयकत बैंक अथवा भाकधर में जमा किया जायेगा जिसका संचालन प्रबन्धक / सचिव एवं कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर द्वारा किया रायेगा ।

13. संस्था का लेखा परीक्षण (आडिट) - संस्था का लेखा परीक्षण प्रति वर्ष सब्र समाप्ति पर कि सी योग्य आडीटर अथवा आर्टिस्ट एकाउण्टेंट द्वारा किया जायेगा ।

14. संस्था के द्वारा अथवा उसके विलुप्त अदालती कार्यवाही के निस्तारण की उत्तरदायित्व - संस्था के द्वारा अथवा उसके विलुप्त अदालती कार्यवाही के निस्तारण की कार्यवाही प्रबन्धक / सचिव अथवा उसके अधिकत व्यक्ति द्वारा की जायेगी ।

15. संस्था द्वारा लिये गये ऋण एवं उसकी जमानत के सम्बन्ध में - संस्था द्वारा लिये गये ऋण की अदायगी करने का सामूहिक य व्यक्तिगत तौर पर प्रबन्धकारिणी के इसी सदस्यों पर होगा यह वापित्य सदस्यों पर तब तक बना रहेगा जब तक कि ऋण दाता के पूर्ण ऋण दाता के पूर्ण ऋण की अदायगी न हो जाये चाहे मले ही सदस्य संस्था से प्रथक ही क्यों न हो गया हो

ऋण के यह में जमानत हेतु संस्था के निजी अचल सम्पत्ति का साम्यक बंधक / बंधक होगा यदि संस्था के यास अपनी निजी अचल सम्पत्ति नहीं है तो संस्था का कोई नी सदस्य या पदाधिकारी अपनी निजी अचल सम्पत्ति का बंधक / साम्यक बंधक कर सकेंगे ।

16. संस्था के अभिलेख - 1- सदस्यता रजिस्टर 2- कार्यवाही रजिस्टर 3- एजेंस्या रजिस्टर 4- स्टाक रजिस्टर 5- कैश बुक आदि ।

17. रांस्था के विघटन - यदि दुर्भाग्यवश संस्था विघटित होती है तो विघटित सम्बति के निस्तारण की कार्यवाही सोसाइटीजिओ विधि की घाता 13 य 14 के अंतर्गत की जायेगी ।

सत्याग्रहितिलिपि

दिनांक -

२५ अक्टूबर २०२४ अंजीत पाराशर, अग्रिमा शर्मा, येतन शर्मा

कार्यालय उपनिबन्धक फर्म्स, सोसायटीज एवं चिट्स
12ए/339—आवास विकास कॉलोनी सिकन्दरा योजना आगरा

पत्रांक 207 / ऐडी० २९६८४ आगरा

दिनांक २०/१२/१३

अलाभकारी प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री राधा कृष्ण समाज कल्याण शिक्षा समिति, 100 फुटा
रोड, कल्पना कुंज, आगरा एकट 1860 के अन्तर्गत पंजीकृत है।

समिति समाज हित में विना किसी लाभ के कार्य कर रहा है। जो समिति वॉयलॉज
में प्रावधानित है।

अतः अलाभकारी प्रमाण पत्र कार्यालय की पत्रांक संख्या ०३/०१० – २१/१२/२०१२
सहित निर्गत है।

उपनिबन्धक
चिट फण्ड फर्म्स इंडिया ट्रस्ट
तहसील अगरा सोसाइटी
प्रमाण पत्र
२०/१२/१३

आयकर विभाग
INCOME TAX DEPARTMENT

भारत सरकार
GOVT. OF INDIA

**SHRI RADHA KRISHNA SAMAJ
KALYAN SHIKSHAK SAMITI**



03/10/2006
Permanent Account Number

AAIAS6817N

26122012

इस काले दो बाजाने / पान पर रुक्मिणी चौपात बड़ी / नीटा
 आयुष्मन कैन सोना बकावी, एवं पान दी एज
 ही मौसी नवीनी बायापय बेकन
 बांदर टेल्सनेन एवं चूज के नड़ी-ठंड
 कला, पुना - 413 045

If this card is lost, stolen or if the card is found, please inform the cardholder.

आर इ एस ओ नो 04

दिनांक 08/03/2013

कार्यवाही

आज दिनांक 08/03/2013 को अपराह्न 01 बजे श्री राधा कृष्ण समाज कल्याण शिक्षा समिति, कल्पना कुंज, दहतोरा, आगरा के समस्त पदाधिकारीगण, समिति के कार्यालय पर समिति द्वारा संचालन हेतु श्री राधाकृष्ण एजूकेशनल इंस्टीट्यूट, कल्पना कुंज, दहतोरा, आगरा में बी0टी0सी0 पाठ्यक्रम का आवेदन किये जाने हेतु आवश्यक बैठक में सम्मिलित हुए—

कार्यवाही प्रस्ताव

1. ईश प्रार्थना।
2. पूर्व में की गयी कार्यवाही की पुष्टि।
3. बी0टी0सी0 पाठ्यक्रम हेतु भवन निर्माण के पूर्ण होने की स्थिति पर विचार।
4. अन्य विषय अध्यक्ष जी के अनुसार।

कार्यवाही

1. सर्वप्रथम उपस्थित सदस्यों द्वारा ईश प्रार्थना की गयी।
2. पूर्व में की गयी कार्यवाही की पुष्टि उपस्थित सदस्यों द्वारा की गयी।
3. बी0टी0सी0 पाठ्यक्रम की सम्बद्धता प्राप्त किए जाने हेतु भवन निर्माण की स्थिति पर सदस्यों द्वारा अध्यक्ष के सम्मुख यह प्रस्ताव रखा गया कि भवन निर्माण पूर्ण हो चुका है तथा समस्त भौतिक अवस्थापनायें सम्बद्धता प्राप्त हेतु पूर्ण कर ली जायें। निदेशक को इस हेतु दिशा निर्देशित करते हुए अध्यक्ष ने समस्त भौतिक अवस्थापनायें पूर्ण करने के लिए समिति के कोष से धन निर्गत करने का यथोचित आदेश दिया। कोरम पूर्ण होने पर कार्यवाही पूर्ण की गई।
4. अन्य कोई विषय न होने के कारण अध्यक्ष जी द्वारा कार्यवाही पूर्ण कर अगले एजेंडा प्रस्ताव के लिए स्थगित की गयी।

अ. कृति पाठ्यक्रम
हस्ताक्षर सचिव

कृति पाठ्यक्रम
हस्ताक्षर अध्यक्ष